

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

29-9-2025

पत्रावली फिश दुई वकील पदादावान उपस्थित।
प्राथमिक अधिवक्ता को संशोधित शीर्षक प्रेश
करने हेतु दिनांक 29/9/2025 को अंतिम अवसर
दिया गया था लेकिन प्राथमिक अधिवक्ता द्वारा
संशोधित शीर्षक प्रेश नहीं किया जाकर पुनः
अवसर हेतु निर्देश दिया गया। प्राथमिक
अधिवक्ता को पर्याप्त समुचित अवसर प्राप्त
करने के बावजूद भी उक्त कार्य संशोधित शीर्षक
प्रेश नहीं किया जाने से पत्रावली में आगे
अग्रिम किया जाना अथवा पत्रावली आगे
क्याया जाना आवश्यक नहीं होने से इसी
कारण पर-वारिज की जाली ही पत्रावली
जिसल शुमार होकर नम्बर 10/10/25 दिनांक
24/9/25 है।